



विधि संकाय
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

दिनांक:- 20.09.2023

एल-एल0 बी0 प्रवेश (2023-2024)

सूचना

एल-एल0 बी0 प्रथम वर्ष (सत्र 2023-24) में फीस न जमा करने के कारण कुछ सीटें रिक्त हैं। जिन पर प्रवेश निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार विधि संकाय भवन में होगा। पूर्व घोषित मेरिट में सभी अर्ह इच्छुक अभ्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में प्रवेश मेरिट के अनुसार रिक्त सीटों के सापेक्ष ही होगा।


पूर्व घोषित मेरिट क्रम:

1. अनारक्षित वर्ग	-	118 अंक या इससे अधिक
2. अन्य पिछड़ा वर्ग	-	112 अंक या इससे अधिक
3. अनुसूचित जाति	-	90 अंक या इससे अधिक

समय : 02:00 बजे से 03:00 बजे अपराह्न
दिनांक : 22.09.2023 (दिन शुक्रवार)
स्थान : विधि संकाय भवन

नोट - 1. उपरोक्त घोषित मेरिट लिस्ट प्रवेश की प्रक्रियात्मक सुविधा के लिए निर्गत की गयी है। यह प्रवेश का कोई अधिकार सृजित नहीं करती है। प्रवेश सीट-टू-सीट के आधार पर हर हाल में मेरिट के अनुसार ही होगा।


2. बार काउंसिल आफ इण्डिया द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार विधि संकाय में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों को ड्रेस कोड में विभाग में आना होगा।


अधिष्ठाता,
विधि संकाय

प्रतिलिपि - निम्नलिखित समाचार पत्रों को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने सम्मानित अंक में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें:-

1. दैनिक जागरण 2. आई नेक्स्ट 3. राष्ट्रीय सहारा 4. अमर उजाला
5. कॉम्पैक्ट 6. हिन्दुस्तान 7. आज 8. स्वतंत्र चेतना
प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव कुलपति, कुलपति जी को सूचनार्थ
2. कुलसचिव
3. वित्त अधिकारी
4. मुख्य नियन्ता
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
6. अध्यक्ष, विधि विभाग
7. प्रभारी आनलाईन सेल
8. सूचना केन्द्र
9. मीडिया प्रभारी
10. समन्वयक, प्रवेश परीक्षा 2022-23


अधिष्ठाता,
विधि संकाय




विधि संकाय
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009

पत्रांक.....

दिनांक 20.09.2023

विधि स्नातक (एल-एल0बी0) सत्र 2023-24 में प्रवेश हेतु सामान्य सूचना

1. प्रवेश के समय सभी अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक भाग एक, दो एवं तीन तथा स्नातकोत्तर किये हों तो भाग एक व दो की (सभी कक्षाओं की) अंक तालिका, अन्तिम वर्ष उत्तीर्ण होने के पश्चात का चरित्र प्रमाण-पत्र, इण्टरनेट के माध्यम से जारी जाति प्रमाण-पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का क्रीमिलेयर में न होने का जाति प्रमाण-पत्र) अनुसूचित जाति एवं जनजाति का इण्टरनेट से जारी अद्यतन जाति प्रमाण-पत्र, एन0 सी0सी0 एवं एन0 एस0एस0 इत्यादि के सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ (ओरिजनल) तथा सभी प्रमाण पत्रों की दो-दो छायाप्रतियाँ (फोटोकापी) लाना अनिवार्य है।
2. बार काउंसिल आफ इण्डिया के पत्र संख्या बी0 सी0 आई0 डी0 1518 : 2008 (एल0 इ0/रुल पार्ट) दिनांक 24.12.2008 के अनुसार विधि में प्रवेश हेतु सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रत्येक दशा में योग्यता प्रदायी परीक्षा में क्रमशः न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं 42 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
3. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र तीन साल के अन्दर का ही, अर्थात् 01 जुलाई 2020 या उसके पश्चात जारी किया गया हो, मान्य होगा।
4. चरित्र प्रमाण-पत्र—
 - (क) - स्नातक/स्नातकोत्तर/अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण होने की तिथि के पश्चात उसी संस्था, जहां से अभ्यर्थी ने अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
 - (ख) - विश्वविद्यालय केन्द्र के अभ्यर्थियों को भी चरित्र प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है।
 - (ग) - व्यक्तिगत/भूतपूर्व छात्रों को जब तक वे संस्थागत छात्र थे, अन्तिम शिक्षण संस्था द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र तथा उसके बाद राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया चरित्र प्रमाण-पत्र जो छः माह के अन्दर का निर्गत किया गया हो, देना होगा।
5. प्रवेश शुल्क आनलाईन जमा होगा।
6. फीस जमा करने के दो दिन के भीतर अपनी फीस रसीद विभाग में जमा करें। जिससे आपका पंजीकरण विभाग में हो जाये।
7. प्रवेश के समय आधार कार्ड/अन्य पहचान पत्र भी लाना आवश्यक है।
8. अभ्यर्थी के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने पर अथवा किसी भी प्रमाण-पत्र एवं अंकतालिका के अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।


20.09.2023